न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 87 / 2020 (2020 / 00312)

रामधन पुत्र काना जाति माली निवासी शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1- माधु पुत्र हजारी जाति माली निवासी शेषपुरा तहसील केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2- किशनी पुत्री कानाराम
3- ग्यारसी पत्नि कालूराम
4- यशोदरा पुत्री कालूराम
5- रामलाल पुत्र कानाराम
समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान
6- राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भू.अ.तहसील केकडी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

—:: आदेश ::—

दिनांक 6.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प खवास के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शेषपुरा की जमाबन्दी संवत 2070– के खाता स. नया पुराना 240–260 के खसरा नम्बर 224 रकबा 1.30 है. किस्म बारानी उत्तम में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में कोई रास्ता दर्ज नहीं है किन्तु मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 234,235 के पश्चिमी और स्थित मेढ के सटाकर खसरा नम्बर 234,235 में से होते हुये खसरानम्बर 237 मेंसे होते हुये खसरा नम्बर 242,243 में मिलता हुआ रास्ता विगत 70 वर्षो से मोजूद है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर व अबाध रूप ट्रैक्टर लाने ले जाने , कृषि उपज लाने ले जाने एंव अन्य कार्य हेतु करता चला आ रहा है। किन्तु भूमि खसरा नम्बर 234,235,237 में रास्ता अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी स. 1 माधू आये दिन रास्ता बंद कर देता है। अप्रार्थी स. 2 लगायत 5 भूमि खसरा नम्बर 237 के खातेदार काश्तकार है जिनकी भूमि मेंसे होकर भी रास्ता मौके पर मौजूद है तथा वे रास्ता देने हेतु सहमत पक्षकार है। भूमि खसरा नम्बर 234,235,237 में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण स. 1लगायात 5 व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। उक्त भूमि पर मौके पर रास्ता मौजूद है। खसरा नम्बर 234 व 235 में स्थित रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 15.10.2020 को हल चलाकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तथा स्वयं की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 232,233,234,235 को मिलाकर मौके पर एक खेत बना दिया हैं । उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता स्थित है। जो संलग्न लाल स्याही से दर्शित नक्शाटेस में है ।रास्ते की चौडाई न्यूनतम बीसफीट रिकॉर्ड में तरमीम की जाकर दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। दिनांक 19.9.2020 को प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि पर ट्रेक्टर से हकाई चुकाई हेतु जाने लगा तो अप्रार्थी स. 1 माधु व उसके परिवाजनों ने आने जाने मं बाधा उत्पन्न हुआ है। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224 पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 234,235,237 की पश्चिमी मेढ के सटाकर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित हिस्से पर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव हैवाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्राप्त तहसीलदार केकडी की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम खवास के निम्नानुसार सहमति प्रदान की है–रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।

क्र स	नाम ग्राम	ख न	कुल रकबा(है)	प्रस्तावित रास्ते उपयोग में आने वाला रकबा
1	खवास	235		220x6=1320 व मी
		235		22x6=132 व मी
		234		32x6=192 व मी सहमति कुल रास्ता 1320+132+192=1644
[illegible]		237		66x2=396 व मी जिसकी सहमति रामलाल पुत्र काना व किशनी पुत्री काना , जसोदा ,ग्यारसी वगै.ने रास्ते की तरमीम हेतु तथा रास्ता किये जाने सहमति प्रदान की । जिसकी नक्शे में तरमीम कर दी जावें।
3		243		रकबा 0.02में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पूर्व में रास्ता दर्ज है।
4		224		192x8.50=1632व.मी.भूमि रामधन पुत्र काना माली ने खसरा नम्बर 234 के खातेदार के देने की सहमति प्रदान की ।

वादी/प्रतिवादी ने दोनो पक्षो ने प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान केम्प स्थल खवास में उपस्थित होकर रजामंदी प्रदान की है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को सुना गया । पक्षकारान द्वारा सहमति दिये जाने के फलस्वरूप ग्राम शेषपुरा के खसरा नम्बर 235 में से 220x6=1320 व.मी.,235 में से 22x6=132 व.मी., 234 में से 32x6=192 व.मी. सहमति अनुसार कुल रास्ता 1320+132+192=1644 व. मी. खसरा नम्बर 237 में से 66x2=396 व.मी. भूमि आती है , जिसकी सहमति रामलालपुत्र काना व किशनी पुत्री काना , जसोदा ,ग्यारसी वगै.ने रास्ते की तरमीम हेतु तथा रास्ता किये जाने सहमति प्रदान की है। अतः इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार केकडी द्वारा [illegible]वें तथा इसी अनुसार तरमीम की कार्यवाही करें तथा इस रास्ते की भूमि के बदले खसरा नम्बर 224 में से 192x8.50=1632 व.मी. भूमि रामधन पुत्र काना माली खसरा नम्बर 234 के खातेदार को देना स्वीकार किया है। अतः तहसीलदार केकडी इस भूमि को रामधन पुत्र काना माली के खाते से कम करके खसरा नम्बर 234 के खाते में दर्ज करें। तथा नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अंकन की कार्यवाही करें। सहमति पत्र व नजरी नक्शा सरंपच व ग्राम के मौतविरान की मौजूदगी में तैयार करवाया गया जो शांमिल पत्रावली रहें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर खवास मजमें आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner